



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 भाद्र, 1944 (श०)

संख्या - 437 राँची, सोमवार, 12 सितम्बर, 2022 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

3 अगस्त, 2022

संख्या- 3/प्रोन्नति-02-02/2020 का. 4874--सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी वित्त विभाग, राँची के द्वारा निर्गत संकल्प संख्या- 03/एस.- 06 (प्रो०)-02/2002-5202 दिनांक 14.08.2002 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक 02.11.2021 को आहूत विभागीय स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारी को उनकी नियुक्ति की तिथि से लगातार 12 एवं 24 वर्षों की नियमित सेवा एवं अर्हता पूरी कर लिये जाने के फलस्वरूप स्तंभ 4 एवं 5 में उल्लेखित तिथि/वेतनमान में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० स०	पदाधिकारी का नाम/कोटि क्रमांक	योगदान की तिथि	वेतनमान रु० (अपुनरीक्षित) 10000- 15200/ में प्रथम सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि	वेतनमान रु० (अपुनरीक्षित) 12000- 16500/ में द्वितीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन की देय तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री गोपीनन्दन प्रसाद 389/03 (सेवानिवृत्त)	27.08.1984		27.08.2008
2	श्री राम शंकर राय 390/03 (सेवानिवृत्त)	27.08.1984		27.08.2008
3	स्व० नमीता नलीनी बाखला (मिंज) 776/03, (मृत)	10.01.1996	10.01.2008	

2. यह वित्तीय उन्नयन पूर्णतः औपबंधिक है और निम्नांकित शर्तों के अधीन देय है :-

- I- यह योजना दिनांक 09.08.1999 से प्रभावी है। किन्तु इसके अन्तर्गत वित्तीय लाभ वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प सं०- 5202 दिनांक 14.08.2002 के अनुसार दिनांक 15.11.2000 से देय होगा। अर्थात् दिनांक 15.11.2000 के पूर्व का कोई भी बकाया अनुमान्य नहीं होगा ।
- II- यह वित्तीय उन्नयन व्यक्तिगत होगा, जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा ।
- III- उक्त वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति में यदि भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,
सरकार के अवर सचिव ।
